तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर** **राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 10/2026 (2026/22)** **अनवान अजय कुमार वगैरा बनाम किशनाराम वगैरा** **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.03.2026	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम भाकरासनी पटवार हल्का तनावड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर में खसरा संख्या 395/369 की कुल रकबा 0.8782 हैक्टेयर आयी हुई स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार के मालिक काबिज काश्त है। प्रार्थीगण अपने उपरोक्त कृषि भूमि को आवारा पशुओं से सुरक्षा हेतु पत्थर रोपकर तारबन्दी करवाना चाहते है जिस हेतु प्रार्थीगण ने राजस्व नक्शे में दर्ज तरमीम एवं राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी रकबे अनुसार सीमाज्ञान करवाना चाहा गया जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के उक्त खसरें की कृषि भूमि का सीमाज्ञान नहीं करवाने दिया गया। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के पड़ौसी खातेदार है तथा अप्रार्थीगण के नाम से खसरा संख्या 370/98 इनकी खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण की इन अप्रार्थीगण के खेत की लगने वाली माठ के सम्बन्ध में ही अप्रार्थीगण द्वार अनावश्यक रूप से विवाद की स्थिति पैदा कर दी गयी है एवं सीमाज्ञान नहीं करवाने दिया जा रहा है जिससे की प्रार्थीगण अपने खेत की माठ जो कि अप्रार्थीगण के उपरोक्त खसरान के लगती हुई हैं उसकी पत्थरगढी कर तारबन्दी नहीं करवा पा रहे हैं अन्य पड़ौसी खातेदारी की माठों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। प्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियों को सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करने हेतु निवेदन भी किया गया लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने विवाद की स्थिति में सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करने से इन्कार कर दिया। राजस्व ग्राम भाकरासनी पटवार हल्का तनावड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा संख्या 395/369 की कुल रकबा 0.8782 हैक्टेयर की कृषि भूमि जो कि खसरा संख्या 370/98 के चिपती हुई माठ है उक्त माठ की राजस्व नक्शे अनुसार सीमाज्ञान कर पुलिस जाब्ते के साथ पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। परन्तु अप्रार्थी संख्या एक एवं दो की और से कोई उपस्थित नही है। पत्रावली पर अधिवक्ता की बहस सूनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। कि अप्रार्थीगण को सूचित करते हुए राजस्व ग्राम भाकरासनी पटवार हल्का तनावड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा संख्या 395/369 की कुल रकबा 0.8782 हैक्टेयर का राजस्व नक्शे अनुसार सीमाज्ञान करके बाद सीमाज्ञान यदि कब्जे का कोई विवाद नही हो तो पत्थरगढी की कार्यवाही सुनिश्चित करने का आदेश तहसीलदार लूणी को दिया जाता है। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। (हँसमुख कुमार) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी लूणी	